गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 077
दि. 16.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़ा डेटा लीक, डार्क वेब पर ब्लूप्रिंट और हजारों दस्तावेज सार्वजनिक होने का दावा

चेन्नई। भारत की सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों में शामिल तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से संबंधित हजारों दस्तावेज कथित तौर पर लीक होने का मामला सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुख्यात हैकर समूह 'वर्ल्ड लीक्स' ने दावा किया है कि उसने परियोजना से जुड़े हजारों दस्तावेज डार्क वेब पर अपलोड कर दिए हैं। इन दस्तावेजों में परियोजना के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) की जानकारी, निरीक्षण रिपोर्ट, तकनीकी रिकॉर्ड और अन्य संवेदनशील दस्तावेज शामिल होने का दावा किया गया है। मामले के सामने आने के बाद देश की साइबर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना केवल किसी निजी कंपनी के डेटा लीक तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़ी साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद गंभीर माना जा रहा है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि डार्क वेब पर मौजूद सभी दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं और इनमें कितनी संवेदनशील जानकारी शामिल है। फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह दावा सही साबित होता है, तो यह भारत की साइबर सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकती है।

मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह ने पुष्टि की है कि परियोजना से संबंधित कुछ डेटा जिस थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योट्टा के सर्वर पर रखा गया था, उसमें साइबर सेंध की घटना हुई थी। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि सर्वर में संदिग्ध गतिविधियों का पता चलते ही आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए और पूरी घटना की जानकारी संबंधित सरकारी एजेंसियों को दे दी गई। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार का डेटा प्रभावित हुआ और कितनी मात्रा में जानकारी तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई। जानकारी के अनुसार, यह साइबर सेंध मई 2026 में हुई थी, लेकिन इसका खुलासा तत्काल नहीं हो सका। 29 मई को योट्टा के सुरक्षा तंत्र ने सर्वर पर संदिग्ध गतिविधियां दर्ज कीं। कंपनी ने दावा किया कि संभावित साइबर हमले को समय रहते रोक दिया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। इसके बावजूद जून के अंतिम सप्ताह में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को जानकारी मिली कि 'वर्ल्ड लीक्स' नामक हैकर समूह डार्क वेब पर परियोजना से जुड़े डेटा चोरी करने और उसे सार्वजनिक करने का दावा कर रहा है। इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी एजेंसियों को सूचित किया गया।

बताया जा रहा है कि डार्क वेब पर लगभग 8.58 लाख फाइलों के संग्रह में से करीब 19 हजार दस्तावेजों को संवेदनशील बताते हुए सार्वजनिक किए जाने का दावा किया गया है। इनमें परियोजना के कुछ ब्लूप्रिंट, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं का

विवरण, गुणवत्ता निरीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड, तकनीकी बैठकों के दस्तावेज, निर्माण संबंधी फाइलें तथा अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड शामिल होने की बात कही गई है। हालांकि संबंधित एजेंसियां इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और संवेदनशीलता की जांच कर रही हैं।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित यह परियोजना भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई है। परियोजना की कई इकाइयां पहले से बिजली उत्पादन कर रही हैं, जबकि यूनिट-3 और यूनिट-4 का निर्माण कार्य जारी है। इन दोनों इकाइयों के निर्माण कार्य में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार के रूप में शामिल है। इसी निर्माण कार्य से संबंधित कुछ दस्तावेज थर्ड-पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योट्टा के सर्वर पर संग्रहीत थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर संयुक्त रूप से पूरे घटनाक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) को भी जांच में शामिल किया गया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सर्वर लॉग, डेटा एक्सेस रिकॉर्ड और संभावित सुरक्षा खामियों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमलावरों ने किस प्रकार सर्वर तक पहुंच बनाई और वास्तव में कितना डेटा प्रभावित हुआ।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि डार्क वेब पर मौजूद दस्तावेज वास्तविक हैं, तो यह केवल डेटा चोरी का मामला नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े ब्लूप्रिंट, तकनीकी दस्तावेज और सप्लाई चेन की जानकारी किसी भी दुर्भावनापूर्ण तत्व को परियोजना की संरचना, उपकरणों की आपूर्ति व्यवस्था और सहायक प्रणालियों को समझने में मदद कर सकती है। इससे भविष्य में साइबर हमलों या अन्य सुरक्षा चुनौतियों का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि परमाणु रिएक्टरों के संचालन तंत्र या सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली से सीधे छेड़छाड़ हुई हो।

विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को इंटरनेट से पूरी तरह अलग और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली के तहत संचालित किया जाता है। संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण नियंत्रण नेटवर्क सामान्य आईटी नेटवर्क से अलग रहते हैं। इसलिए यदि प्रशासनिक या निर्माण संबंधी दस्तावेज लीक भी हुए हों, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि रिएक्टरों के संचालन पर तत्काल कोई प्रभाव पड़ा है। फिर भी ऐसी घटनाएं संवेदनशील बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में विश्वभर में ऊर्जा, रक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साइबर हमलों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। हैकर समूह अब केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि रणनीतिक सूचनाएं हासिल करने के उद्देश्य से भी बड़े संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े किसी भी संभावित डेटा लीक को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। फिलहाल भारतीय एजेंसियां डार्क वेब पर उपलब्ध दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित रूप से लीक हुआ डेटा कितना संवेदनशील है और उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि हैकर समूह के दावों में कितनी सच्चाई है और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।

पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल ठुकराई, पहले कानूनी उपाय अपनाने की दी सलाह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय पहले कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानूनों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई की पर्याप्त व्यवस्था पहले से मौजूद है। यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ के समक्ष आया। याचिका में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि उसमें पैगंबर मोहम्मद के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी करने की मांग की थी।

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने

प्रारंभिक स्तर पर ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के मामलों में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत याचिका स्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिकायत के निवारण के लिए पहले से ही विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध है। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री से आपत्ति है या वह उसे कानून का उल्लंघन मानता है, तो उसे सबसे पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों अथवा सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि क्या उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों और उससे संबंधित कानूनी प्रक्रिया की जानकारी है। अदालत ने संकेत दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पहले से निर्धारित कानूनी तंत्र मौजूद है और उसका उपयोग किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि कई बार इस प्रकार की याचिकाओं का उद्देश्य मामलों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाना प्रतीत होता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय आने का अधिकार देता है, लेकिन जहां किसी मामले में प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हों, वहां पहले उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक शिकायतों की जांच करने और सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित जांच एजेंसियों और पुलिस के पास है। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि किसी पोस्ट, वीडियो या टिप्पणी से कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर उचित कार्रवाई कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पहले उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि केवल इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहां वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था उपलब्ध हो, वहां सीधे सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं माना जाता। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर यह सिद्धांत दोहराता रहा है कि अनुच्छेद 32 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब वास्तव में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और उपलब्ध वैधानिक उपाय पर्याप्त न हों। जिन मामलों में पुलिस, प्रशासन या अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मौजूद होता है, उनमें सामान्यतः पहले उसी प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

छतरपुर गोलीकांड में बड़ा एक्शन, बागेश्वर धाम प्रमुख के भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, जमीन विवाद में दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जमीन विवाद के दौरान हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ एक अन्य आरोपी अंकित मिश्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, जिनमें से दो की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक नामजद आरोपी सहित दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

यह मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा में गौशाला के पीछे स्थित एक जमीन को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। मंगलवार को दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया और फायरिंग की घटना सामने आई। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जिसके चलते पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू की। घटना में घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान शालिग्राम गर्ग ने उन पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए

अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल किसान का कहना है कि गांव में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और कुछ किसानों पर अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा था।

मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जो किसान अपनी जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन्हें लगातार धमकियां दी जाती हैं और कई बार उनके साथ मारपीट भी की जाती है। उनका दावा है कि इसी विवाद के दौरान उन पर गोली चलाई गई। उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के परिवार से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है तथा किसी भी आरोपी के साथ कानून के समक्ष अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिलहाल दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं, घायल किसान का उपचार जारी है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी।

हिमालय की बर्फ पर टूटी वैज्ञानिकों की पुरानी धारणा नए अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला सच

नई दिल्ली। हिमालय में होने वाली बर्फबारी को लेकर वैज्ञानिकों की वर्षों पुरानी धारणाओं को एक नए अध्ययन ने चुनौती दी है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिमालयी क्षेत्रों में वास्तविक बर्फबारी अब तक लगाए जा रहे अनुमानों से कहीं अधिक हो रही है। अध्ययन के अनुसार, केवल एक सर्दी के मौसम में हिमाचल प्रदेश के हाम्टा झील क्षेत्र में दर्ज की गई बर्फबारी पूर्वानुमानों की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक रही। इस खोज को जलवायु विज्ञान, जल संसाधन प्रबंधन और हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बर्फबारी के सही आंकड़े उपलब्ध होने लगें, तो न केवल जल संकट से निपटने की बेहतर रणनीति बनाई जा सकेगी, बल्कि नदियों के जल प्रवाह, सिंचाई योजनाओं और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी अधिक सटीक अनुमान लगाए जा सकेंगे।

यह अध्ययन ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे (British Antarctic Survey), यूनाइटेड किंगडम मौसम विभाग (UK Met Office) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 'मंथली वेदर रिव्यू' में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि पश्चिम-मध्य हिमालय में दशकों से बर्फबारी का आकलन वास्तविकता से कम किया जाता रहा है, क्योंकि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक तकनीकों से सटीक मापन संभव नहीं हो पाता था।

शोधकर्ताओं के अनुसार, हिमालय की बर्फ केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित प्राकृतिक संपदा नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा का आधार है। गर्मियों में

यही बर्फ पिघलकर गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों को जल उपलब्ध कराती है। करोड़ों लोगों की पेयजल व्यवस्था, कृषि, जलविद्युत उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिमालय की बर्फ पर निर्भर है। ऐसे में यदि बर्फबारी के वास्तविक आंकड़े ही गलत हों, तो भविष्य की जल योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

वैज्ञानिकों ने इस चुनौती से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर एक नई तकनीक विकसित की। उन्होंने ऊंचाई पर स्थित जमी हुई झीलों को प्राकृतिक दबाव सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश की घेपन और हाम्टा झीलों के अलावा नेपाल की मुगु झील में विशेष प्रकार के व्यावसायिक प्रेशर सेंसर स्थापित किए गए। इन सेंसरों ने झील के नीचे पानी के दबाव में होने वाले बदलावों को लगातार रिकॉर्ड किया, जिससे बर्फबारी का वास्तविक भार और उसकी मात्रा का सटीक अनुमान लगाया जा सका।

आईआईटी खड़गपुर से जुड़े पर्वतीय जलवायु वैज्ञानिक सिद्धार्थ गुंबर के अनुसार, पारंपरिक मौसम केंद्र सीमित क्षेत्र की जानकारी देते हैं, जबकि जमी हुई झीलों में लगाए गए सेंसर पूरी झील की सतह पर जमा बर्फ का एक साथ आकलन करते हैं। कई झीलों का क्षेत्रफल हजारों से लेकर करोड़ों वर्ग मीटर तक फैला होता है। इस कारण इन सेंसरों से प्राप्त आंकड़े कहीं अधिक विश्वसनीय और व्यापक माने जाते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में भी मदद मिली कि बर्फ कब गिरी, कितनी तेजी से गिरी और कुल मिलाकर उसका वास्तविक द्रव्यमान कितना था।

यह पूरी तकनीक आर्किमिडीज के विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी जमी हुई झील के ऊपर नई बर्फ की परत जमा होती है, तो उसका भार झील की बर्फ और पानी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। झील के भीतर लगाए गए सेंसर इसी दबाव में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को मापते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक बर्फ के कुल भार, उसकी मोटाई और समय का अत्यंत सटीक आकलन कर सकते हैं। इस पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल बर्फ की ऊपरी परत नहीं, बल्कि उसके वास्तविक द्रव्यमान का भी अनुमान लगाने में सक्षम है। अध्ययन में सामने आया कि हाम्टा झील क्षेत्र में दर्ज की गई वास्तविक बर्फबारी पहले के मॉडलों द्वारा किए गए अनुमान से लगभग 37 प्रतिशत अधिक थी। इसका अर्थ है कि अब तक उपयोग किए जा रहे मौसम मॉडल हिमालय में बर्फबारी को कम आंक रहे थे। यदि यही स्थिति अन्य हिमालयी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, तो जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों और हिमनदों से संबंधित कई वैज्ञानिक आकलनों की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित करोड़ों लोगों की आजीविका निर्भर करती है। यदि यह पहले से पता चल जाए कि किसी वर्ष हिमालय में कितनी बर्फ जमा हुई है, तो गर्मियों में नदियों में आने वाले जल प्रवाह का अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। इससे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जलाशयों के संचालन और जलविद्युत उत्पादन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक बर्फबारी हो रही है तो कहीं बर्फ का स्तर लगातार घट रहा है। कई हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे समय में बर्फबारी का वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित डेटा नीति-निर्माताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और जल संसाधन प्रबंधकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है।

शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि नई तकनीक का उपयोग भविष्य में हिमालय के अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इससे पूरे हिमालयी क्षेत्र की बर्फबारी का अधिक व्यापक और सटीक डेटाबेस तैयार होगा। यह डेटाबेस मौसम पूर्वानुमान मॉडल को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अचानक आने वाली बाढ़ और हिमस्खलन, के जोखिम का आकलन करने में भी सहायक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, बर्फबारी का सही रिकॉर्ड केवल वर्तमान जल संसाधनों के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संपादकीय

पैसे के पीर टीटीई

सही मायने में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनों में टीटीई के उस सर्वमान्य भ्रष्ट आचरण को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है, जिसे रेलयात्री कीमत चुकाने के बाद भी कहने में संकोच करते हैं। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेनों में अक्सर मुश्किल से सफर करने वाले यात्री खाली पड़ी बर्थ अलॉट करा लेते हैं। जिसके एवज में उन्हें टीटीई को किराये के अलावा अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ता है। यह चलन देशभर में विभिन्न ट्रेनों में दिखायी देता है। लेकिन अक्सर यात्री अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचकर बात को आई-गई मान लेते हैं। लेकिन जब पैसे देकर अपराधियों को दी गई बर्थ के जरिये चलती ट्रेन में कोई बड़ा अपराध हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल, जस्टिस राजशेखर मंथा व जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की बेंच साल 2009 में तीस्ता-तोरस एक्सप्रेस में हुई लूट और मौत के मामले में दो दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि टीटीई खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं,जैसे बाजार में सब्जियां बिकती हैं। ऐसे में अपराधी खाली बर्थ खरीदकर आरक्षित कोच तक पहुंच बना लेते हैं। वे फिर यात्रियों के साथ घुल-मिलकर उन्हें लूट लेते हैं। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि पैसे लेकर जनरल टिकट वाले यात्रियों को खाली बर्थ देने से अपराधियों को आरक्षित कोच के यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। तीस्ता व तोरस केस में भी जो आपराधिक घटना हुई है, उसमें कई टीटीई ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नही निभायी। दरअसल, सत्रह साल पुराने केस में जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में जनरल टिकट पर सफर कर रहे दो बदमाशों ने टीटीई को पैसे देकर एस-8 कोच में खाली बर्थ ले ली थी। फिर इन्होंने खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ यात्रियों को बेहोश कर दिया और उनका सामान लूट लिया। घटना में जहरीले पदार्थ से सुनील कुमार दास की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा लंबे समय अस्पताल में उपचार के बाद बच गया था। दरअसल, इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य न जुटाए जाने के कारण सात साल की जेल के बाद कोर्ट को उन्हें रिहा करना पड़ा। कोर्ट ने टीटीई ही नहीं, पुलिस को भी लापरवाह माना क्योंकि मृतक का विसरा फॉरेंसिक जांच को नहीं भेजा गया। दूसरे यात्री के अस्पताल में उपचार के रिकॉर्ड भी नहीं जुटाए गए। फलतः हत्या के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। इस घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक समेत देशभर के रेलवे अधिकारियों को भेजने को कहा। ताकि पैसे लेकर खाली बर्थ बेचने वाले टीटीई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कदाचार करने वाले रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अधिकतम कार्रवाई करने को कहा क्योंकि टीटीई की लापरवाही ही ट्रेन में घटे इस अपराध की वजह बनी थी। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति सिर्फ चोरी का शिकार हुआ,लेकिन टीटीई के गैर-जिम्मेदार व्यवहार से उसकी जान चली गई। अदालत ने माना कि ऐसे तमाम मामले सामने नहीं आ पाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि रेलवे कर्मचारी ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करें तो यात्रियों का जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। विडंबना ही है कि अब जब उन्नत तकनीक के जरिये टिकटों के नियमन व सीटों के आवंटन पर पैनी नजर रखना संभव है, तो बर्थ देने में टीटीई की बड़ी भूमिका क्यों है? अक्सर मुश्किलों में सफर कर रहे यात्रियों की मजबूरी का भी टीटीई जमकर फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी विसंगति यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े रेल-नेटवर्कों में शुमार भारतीय रेलवे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक हित साधने का माध्यम रहा है। एक समय गठबंधन सरकारों के दौर में रेल मंत्री पद के लिये बड़ी दावेदारी होती थी। अपने चुनाव क्षेत्र व राज्य के लोगों को रेलवे में भर्ती करना प्राथमिकता होती थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यशैली में सुधार की दिशा में गंभीर कोशिश होती कभी नजर नहीं आयी। जिसके चलते रेलवे परिचालन व्यवस्था में कदाचार गहरी जड़ें जमाता रहा है। जिसकी कीमत लगातार यात्री चुका रहे हैं।

परेशान करती सरकार व समाज की चुप्पी

> आज जंतर-मंतर पर जो कुछ हो रहा है, और उसे लेकर समाज में जो कुछ नहीं हो रहा है, वह कुल मिलाकर राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि हमारी सरकार युवा-शक्ति की परेशानी को समझने की कोशिश करती, पर उसने चुप्पी साध रखी है। होना तो चाहिए था कि हमारा मीडिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुखर होता।

देश की राजधानी दिल्ली में 'कॉकरोच पार्टी' का आंदोलन जारी है। लगभग एक महीना होने को आया देश के युवाओं की टोलियों को देश के शिक्षामंत्री का इस्तीफा मांगते हुए। उनका कहना है 'नीट' की परीक्षा में होने वाली धांधली और अनेक युवाओं द्वारा की गई आत्महत्याओं की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। सवाल शिक्षामंत्री के इस्तीफे मात्र का नहीं है, सवाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की आपराधिक अनदेखी करने का भी है। इस बीच लद्दाख के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को भी जंतर-मंतर पर आमरण अनशन करते हुए सोलह दिन से अधिक हो गये हैं। और जब मैं यह शब्द लिख रहा हूं, सोशल मीडिया पर यह समाचार वायरल हो रहा है कि वांगचुक की स्थिति ठीक नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि युवाओं के आंदोलन के इतने दिन बीत गये, वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, और सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही! क्या यह सही नहीं है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली के चलते पंद्रह से अधिक युवाओं ने आत्महत्या कर ली? इस धांधली और युवाओं की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका कोई समुचित जवाब सरकार ने अब तक नहीं दिया है। यह सही है कि इस बीच 'नीट' की परीक्षा फिर से करवा ली गयी है, पर क्या यह सही नहीं है कि लाखों विद्यार्थियों ने भयंकर मानसिक दबाव में यह परीक्षा फिर से दी है? कोई तो उत्तरदायी होगा इस सारी स्थिति के लिए। मामला शिक्षा में धांधली का है, तो क्यों न शिक्षामंत्री को इसके लिए उत्तरदायी माना जाये? होना तो यह चाहिए था कि देश के शिक्षामंत्री स्वयं आगे बढ़कर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर एक उदाहरण प्रस्तुत करते। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उलटे भाजपा वाले बड़े गर्व से यह कहते नहीं थक रहे कि उनकी सरकार में पद से इस्तीफा देने की परम्परा नहीं है।

सवाल पूछा जाना चाहिए कि संबंधित मंत्री जवाबदेही क्यों न स्वीकारें। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। 'नीट' के लगभग बीस उम्मीदवारों की आत्महत्या क्या कोई इतना छोटा मामला है कि देश के प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? यहां यह कहना असंगत नहीं होगा कि 2021 से लेकर 2026 तक 'नीट' से जुड़े ऐसे नब्बे से अधिक मामले सामने आये हैं। इस बार लगभग 23 लाख छात्रों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी। सब जानते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी कोई खेल नहीं होती। भयंकर दबाव में रहते हैं प्रतीक्षार्थी। आत्महत्या करने वाले अभागे छात्र इस दबाव को झेल नहीं पाये। कल्पना की जा सकती है कि इनके अभिभावकों पर क्या गुजर रही होगी। क्या उनकी पीड़ा सरकार के वरिष्ठ नेताओं से सांत्वना के दो शब्द पाने लायक भी नहीं थी? तो फिर यह चुप्पी क्यों?

इस चुप्पी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह सही है कि देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं की तुलना कॉकरोच से किये जाने के बाद कॉकरोच पार्टी के गठन को पहले हल्के में ही लिया गया था। बोस्टन में पढ़ाई कर रहे एक भारतीय युवा अभिजीत दीपके ने शायद मजाक में ही मुख्य न्यायाधीश की बात पर सोशल मीडिया से यह सवाल उछाला था कि 'यदि सारे कॉकरोच इकट्ठे हो गये तो?' इस 'तो' के उत्तर में जब हज़ारों की संख्या में युवा समर्थकों ने मुख्य न्यायाधीश के कथन की आलोचना करते हुए विरोध की आवाज़ उठायी तो बात गंभीर होती गयी। यह सही है कि आज भी संस्था की दृष्टि से इस आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिल पायी, जितनी मिल जानी चाहिए थी, पर जो समर्थन इसे देश में मिल रहा है, वह कम भी नहीं है। कम से कम इतना कम तो नहीं कि इसकी उपेक्षा की जाये।

आखिर युवा यही तो पूछ रहे हैं कि परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन है? छात्रों की आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वांगचुंक और उनके साथ कई छात्रों को अनशन पर क्यों बैठना पड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी समूची व्यवस्था इतनी असंवेदनशील और अनुत्तरदायी कैसे हो गयी है?

एक और सवाल जो हमारी चिंता का विषय बनना चाहिए वह हमारे मीडिया की असंवेदनशीलता का है। जंतर-मंतर पर हजारों युवा देश के शिक्षामंत्री के खिलाफ लगभग एक माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। खुले मैदान में ये छात्र गर्मी और बरसात झेल रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं में से कइयों को बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण अस्पतालों में भर्ती किया गया है। मुद्दा देश के युवाओं के भविष्य का है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पर इस सबको लेकर देश की मुख्यधारा का मीडिया ज़रा भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहा। आपराधिक चुप्पी सरकार ही नहीं बरत रही, हमारे मीडिया ने भी वैसी ही चुप्पी साध रखी है। आखिर क्यों? यह एक शर्मनाक हकीकत ही है कि यदि हमारा सोशल मीडिया सक्रिय न होता तो जंतर-मंतर के इस प्रदर्शन की जानकारी भी देश को न हो पाती।

आंदोलन कैसे चल रहा है, आंदोलन के प्रति समाज का रवैया कैसा है, सरकार की चुप्पी का रहस्य क्या है, जैसे सारे सवाल अनुत्तरित ही रह जाते यदि सोशल मीडिया इस संदर्भ में सक्रिय न होता। महीने भर से देश का युवा उद्वेलित है, राजधानी दिल्ली के साथ-साथ देश के कई अन्य शहरों में भी युवा-शक्ति सड़कों पर है, पर अखबारों में इसकी कोई जानकारी नहीं दिखती। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश-यात्राओं में भारतीय मूल के लोगों की 'भीड़' को दिखाने की तत्परता तो हमारे मीडिया में खूब दिख रही है, पर देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जुट रहे युवा जैसे मीडिया को दिखाई ही नहीं दे रहे! जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की दुहाई देने वाले विश्व के सबसे बड़े जनतांत्रिक देश में मीडिया का यह रुख हैरानी ही नहीं, शर्म और चिंता की बात भी है।

मीडिया का दायित्व है कि वह समाज को स्थिति की गंभीरता और भयावहता से परिचित कराये। सरकार से सवाल पूछे कि वह इस गंभीर विषय पर कुछ कहने-करने से क्यों कतरा रही है? सवाल सिर्फ शिक्षामंत्री के इस्तीफे का नहीं है, उस सारी स्थिति के आकलन का है जिसके चलते छात्रों को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। सवाल हमारी शिक्षा नीति के औचित्य को लेकर भी उठ रहे हैं। मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में हैं। शिक्षामंत्री कह रहे हैं 2027 तक ये सारी परीक्षाएं कम्प्यूटर-आधारित कर दी जायेंगी। कोई उनसे यह क्यों नहीं पूछ रहा कि क्या तबतक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक कम्प्यूटर की सुविधा पहुंच जायेगी? आज स्थिति यह है कि देश के साठ प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही कम्प्यूटर उपलब्ध है। शेष चालीस प्रतिशत स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र क्या घाटे में नहीं रहेंगे?

बहरहाल, आज जंतर-मंतर पर जो कुछ हो रहा है, और उसे लेकर समाज में जो कुछ नहीं हो रहा है, वह कुल मिलाकर राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि हमारी सरकार युवा-शक्ति की परेशानी को समझने की कोशिश करती, पर उसने चुप्पी साध रखी है। होना तो चाहिए था कि हमारा मीडिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुखर होता, पर उसने भी रहस्यमय चुप्पी साधने का रास्ता अपनाया है। आखिर क्यों?

इस 'क्यों' का उत्तर मिलना ही चाहिए। देश की युवा-शक्ति को कॉकरोच कहे जाने पर यदि युवाओं को आपत्ति है तो इस आपत्ति की तह तक जाना भी सरकार का दायित्व बनता है। युवाओं का यह मुद्दा सीधा देश की बेरोजगारी से जुड़ता है। आज युवा वर्तमान से ही परेशान नहीं है, उसे अपने भविष्य की भी चिंता है। सवाल एक शिक्षामंत्री के इस्तीफे का नहीं, युवा-शक्ति के समूचे भविष्य का है। हमारी सरकार को, और हमारे मीडिया को, इसकी चिंता कब होगी?

प्रेरणा

डॉ. भीमराव अंबेडकर : भारतीय नारी को समान अधिकार दिलाने वाले युगद्रष्टा

भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाले, संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के महान योद्धा डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का व्यक्तित्व केवल दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की उस आधी आबादी की पीड़ा को भी गहराई से समझा, जिसे सदियों से सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक परंपराओं और कानूनी असमानताओं के कारण अपने अधिकारों से वंचित रखा गया था। डॉ. अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त नहीं है, वह समाज कभी वास्तविक अर्थों में प्रगतिशील नहीं बन सकता। यही कारण था कि उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी अधिकारों को अपने सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया।

डॉ. अंबेडकर का विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सही आकलन वहां की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी समाज की प्रगति का मापदंड उसकी महिलाओं की प्रगति होती है। यह केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उनके संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार था। वे जानते थे कि यदि महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, विवाह, रोजगार और निर्णय लेने के अधिकार नहीं मिलेंगे तो स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र भी अधूरा रहेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत अपना नया भविष्य गढ़ रहा था, तब देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉ. अंबेडकर ने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब सामाजिक समानता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने देखा कि भारतीय महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के मामलों में पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं था। अनेक महिलाएं पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाती थीं। बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था और विवाह संबंधों में भी महिलाओं के पास न्याय पाने के पर्याप्त कानूनी साधन उपलब्ध नहीं थे।

इन्हीं परिस्थितियों को बदलने के उद्देश्य से डॉ. अंबेडकर ने अत्यंत गंभीर अध्ययन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद ऐतिहासिक हिंदू कोड बिल तैयार किया। उस समय यह केवल एक विधेयक नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने, विवाह को अधिक न्यायसंगत बनाने, बहुविवाह की प्रथा समाप्त करने, महिलाओं को तलाक का कानूनी अधिकार प्रदान करने तथा गोद लेने और पारिवारिक उत्तराधिकार के मामलों में समानता स्थापित करने का प्रयास किया।

डॉ. अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि इतने व्यापक सामाजिक परिवर्तन का विरोध होगा, फिर भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय पूरी दृढ़ता से अपने विचारों का समर्थन किया। संसद में जब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया तो कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी समूहों ने इसका तीव्र विरोध किया। उनका तर्क था कि यह विधेयक भारतीय परंपराओं और पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट कर देगा। समाज के कई प्रभावशाली वर्ग भी इस परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी परंपरा के कारण महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो उस परंपरा में सुधार आवश्यक है।

लगभग चार वर्षों तक उन्होंने इस विधेयक को पारित कराने के लिए अथक प्रयास किए। संसद के भीतर और बाहर उन्होंने तर्क, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के आधार पर अपने विचार रखे। उनका उद्देश्य किसी धर्म या संस्कृति का विरोध करना नहीं था, बल्कि महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिलाना था। वे मानते थे कि संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार तभी सार्थक होंगे जब व्यक्तिगत कानूनों में भी समानता का सिद्धांत लागू किया जाए।

जब उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के प्रति पर्याप्त गंभीर नहीं है, तब उन्होंने वर्ष 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। उनका यह त्याग भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे सत्ता से अधिक महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय को महत्व देते हैं। उनका इस्तीफा इस बात का प्रतीक था कि सिद्धांतों के लिए पद का त्याग भी किया जा सकता है।

यद्यपि उस समय हिंदू कोड बिल अपने मूल स्वरूप में पारित नहीं हो सका, लेकिन डॉ. अंबेडकर द्वारा रखी गई वैचारिक नींव इतनी मजबूत थी कि बाद के वर्षों में सरकार को उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। परिणामस्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम तथा हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए। इन कानूनों ने भारतीय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, वैधानिक सुरक्षा, विवाह संबंधों में न्याय तथा पारिवारिक जीवन में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया।

डॉ. अंबेडकर केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही महिलाओं को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित न रहें, बल्कि प्रशासन, शिक्षा, न्यायपालिका, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उनके विचारों ने लाखों महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

आज भारत में महिलाएं न्यायपालिका, सेना, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति, खेल और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। इन सफलताओं के पीछे अनेक सामाजिक और संवैधानिक सुधारों की भूमिका रही है, जिनकी आधारशिला डॉ. अंबेडकर ने रखी थी। उन्होंने महिलाओं को केवल अधिकार देने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का संवैधानिक आधार भी प्रदान किया। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के जो मूल सिद्धांत निहित हैं, वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। डॉ. अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति न दे। यही कारण है कि आज महिलाओं के अधिकारों से जुड़े अनेक कानूनों और नीतियों की वैचारिक प्रेरणा संविधान के उन्हीं मूल्यों से मिलती है, जिन्हें उन्होंने आकार दिया। वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता में जो निरंतर वृद्धि दिखाई देती है, वह केवल सामाजिक परिवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि उन दूरदर्शी विचारों का भी प्रभाव है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने दशकों पहले प्रस्तुत किया था।

कुरैशी की पुस्तक से उठा सवाल, मनमोहन को 'आत्महत्या' के लिए क्यों 'मजबूर' कर रहे थे कांग्रेसी मंत्री?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की आने वाली पुस्तक ने देश की राजनीति में जोरदार हलचल मचा दी है। सबसे सनसनीखेज खुलासा उस घटना का है, जब वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उनसे कथित तौर पर कहा, "यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।" यह टिप्पणी उस समय सामने आई, जब कुरैशी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से शिकायत की थी कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ मंत्री और नेता चुनाव आयोग की संवैधानिक गरिमा पर लगातार चोट कर रहे हैं। कुरैशी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी पुस्तक के उस अध्याय में दर्ज किया है, जिसका शीर्षक है, "वह दिन जब प्रधानमंत्री ने अकल्पनीय बात कह दी।" कुरैशी के अनुसार यह पूरा विवाद उस समय चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था। उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण साढ़े चार प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। आयोग ने चार दिन तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सलमान खुर्शीद को फटकार लगाई। चुनाव आयोग के पास यही सबसे कड़ी कार्रवाई उपलब्ध थी। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग को घमंडी और मनमाना तक कहना शुरू कर दिया। कुरैशी लिखते हैं कि आलोचना से उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब संवैधानिक संस्था की साख पर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया।

कुरैशी के अनुसार उन्होंने अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार हरीश खरे के सामने रखी। अगले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल बुलावा आया। शाम को हुई मुलाकात में मनमोहन सिंह बेहद व्यथित नजर आए। कुरैशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, "यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।" यह सुनकर वह खुद भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी शिकायत प्रधानमंत्री से नहीं, बल्कि कुछ मंत्रियों के व्यवहार से थी। इसके बाद मनमोहन सिंह ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणियों की कोई जानकारी नहीं थी। यदि पहले पता होता तो वह संबंधित मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाते। उन्होंने यह भी कहा कि आगे कभी ऐसी कोई बात हो तो सीधे उन्हें बताई जाए। कुरैशी के अनुसार मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग को भारत के लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि यदि यह संस्था कमजोर हुई तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। कुरैशी का दावा है कि इस मुलाकात के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी थम गई। हालांकि यहां एक सवाल यह उठता है कि क्या तत्कालीन कांग्रेसी मंत्री मनमोहन सिंह को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे थे?

साथ ही पुस्तक में कुरैशी ने एक और चौंकाने वाली बात कही है। उनका कहना है कि सरकार का हाथ हमेशा लंबा होता है, जबकि विपक्ष को सहारे की जरूरत पड़ती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उनके उदार रवैये का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। यह टिप्पणी सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त किस संदर्भ में यह बात कह रहे थे और इसका वास्तविक अर्थ क्या है।

उधर, कुरैशी की पुस्तक के इन खुलासों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति रही है। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार सत्ता में थी, तब भी उसके मंत्री आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग के खिलाफ बयान देते थे और आज विपक्ष में बैठकर भी कांग्रेस चुनावी नतीजे मनमाफिक नहीं आने पर आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। अमित मालवीय ने यह भी कहा कि कुरैशी के खुलासे से साफ है कि स्वयं मनमोहन सिंह अपने मंत्रियों की टिप्पणियों से दुखी थे और उन्हें अपने सहयोगियों पर नियंत्रण नहीं था।

दूसरी ओर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हमलों को पुरानी घटना के सहारे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि चुनिंदा घटनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर आज उठ रहे गंभीर सवालों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, निर्णय लेने की व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे को लेकर उठाए जाने वाले सवाल किसी संस्था पर हमला नहीं, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा चुनाव आयोग को संविधान के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक मानती रही है और जहां जरूरी हो वहां जवाबदेही मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है।

देखा जाये तो कुरैशी की पुस्तक केवल इस एक विवाद तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने लंबे प्रशासनिक जीवन के सौ महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें शामिल किए हैं। वह लिखते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव का पद इसलिए स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि एक मुसलमान होने के कारण उनकी योग्यता से अधिक उनके धर्म की चर्चा होगी। उनका दावा है कि बाद में एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह तक कह दिया था कि वहां पहले से एक मुसलमान मौजूद है। पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मादक पदार्थों के चुनावी इस्तेमाल को लेकर आगाह किया था, लेकिन इस पर गंभीर ध्यान कई वर्ष बाद गया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं पर भी चिंता जताने, उत्तर प्रदेश चुनाव में हाथी की मूर्तियों को ढकने के फैसले का बचाव करने और दूरदर्शन में अपनी नियुक्ति के समय सुषमा स्वराज द्वारा उनका खुलकर समर्थन किए जाने जैसी कई घटनाओं का भी विस्तार से जिक्र किया है।

अभियान

जगन्नाथ धाम की रहस्यमयी परंपरा : क्यों कहा जाता है कि विवाह से पहले प्रेमी युगल को नहीं करने चाहिए एक साथ दर्शन?

सनातन धर्म में तीर्थयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम मानी जाती है। भारत के चार पवित्र धामों में शामिल ओडिशा के पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर का महत्व भी इसी कारण अत्यंत विशिष्ट है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का यह दिव्य धाम सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि आषाढ़ मास में आयोजित होने वाली विश्वविख्यात रथ यात्रा के दौरान यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर अपनी प्राचीन परंपराओं, अद्भुत स्थापत्य, महाप्रसाद, नीलचक्र और अनेक रहस्यमयी मान्यताओं के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। इन्हीं मान्यताओं में एक ऐसी लोकधारणा भी है, जिसने वर्षों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रखी है। कहा जाता है कि अविवाहित प्रेमी जोड़ों या जिनकी शादी तय हो चुकी हो लेकिन विवाह अभी संपन्न न हुआ हो, उन्हें विवाह से पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं करने चाहिए। अनेक लोग इसे भगवान की परंपरा मानते हैं, जबकि कई विद्वान इसे केवल लोकविश्वास बताते हैं। आखिर इस मान्यता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे क्या कहानी कही जाती है, यह जानना अपने आप में बेहद रोचक है।

पुरी का श्रीजगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर भी है। बारहवीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण आस्था स्थलों में गिना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण यहां जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान हैं। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान को एक राजा की तरह सेवा और सम्मान दिया जाता है। दिनभर में अनेक प्रकार की सेवाएं, भोग, आरती और विशेष अनुष्ठान संपन्न होते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर की प्रत्येक परंपरा के पीछे कोई न कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कथा प्रचलित मिलती है।

प्रेमी जोड़ों से जुड़ी मान्यता भी ऐसी ही एक लोककथा पर आधारित है, जिसे ओडिशा के अनेक लोग पीढ़ियों से सुनते और सुनाते आए हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण की परम भक्त और प्रेम की प्रतीक राधारानी एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचीं। कहा जाता है कि जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तब तत्कालीन परंपराओं का हवाला देते हुए उन्हें भीतर जाने से रोक दिया गया। लोककथा के अनुसार पुजारियों ने कहा कि मंदिर में भगवान की पत्नियों का ही विशेष स्थान है और राधा को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बात राधारानी को अत्यंत दुखद लगी। कथा कहती है कि उन्होंने व्यथित होकर कहा कि यदि प्रेम को ही यहां स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो भविष्य में जो भी प्रेमी युगल विवाह से पहले यहां एक साथ दर्शन करेगा, उसके प्रेम के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। समय के साथ यह कथा जनश्रुति बन गई और लोगों ने इसे श्रद्धा के साथ अपनाना शुरू कर दिया।

धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा का उल्लेख प्रमुख पुराणों, वेदों, उपनिषदों या श्रीजगन्नाथ मंदिर की आधिकारिक धार्मिक परंपराओं में नहीं मिलता। इतिहासकारों और धर्मशास्त्र के अनेक विद्वानों का मत है कि यह एक स्थानीय लोकविश्वास है, जो सदियों से मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा है। भारत के लगभग प्रत्येक प्राचीन तीर्थ से ऐसी अनेक जनश्रुतियां जुड़ी हुई हैं, जिनका उद्देश्य किसी विशेष परंपरा या सांस्कृतिक संदेश को जीवित रखना होता है। इसलिए इस कथा को धार्मिक इतिहास की बजाय लोकसंस्कृति के संदर्भ में अधिक देखा जाता है। आज भी पुरी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवार इस मान्यता का पालन करते हैं। उनका विश्वास है कि विवाह के बाद पति-पत्नी के रूप में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना अधिक शुभ माना जाता है। कई परिवार अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि यदि वे विवाह से पहले पुरी जाएं तो अलग-अलग दर्शन करें और वैवाहिक जीवन प्रारंभ होने के बाद एक साथ भगवान का आशीर्वाद लें। उनके अनुसार ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। हालांकि यह पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे मानना या न मानना व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कभी भी ऐसा कोई आधिकारिक नियम जारी नहीं किया कि अविवाहित प्रेमी जोड़ों का प्रवेश निषिद्ध है। मंदिर में प्रवेश के जो नियम हैं, वे सभी श्रद्धालुओं के लिए समान हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित धार्मिक मर्यादाओं और मंदिर के नियमों का पालन करता है, तो उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे प्रवेश से नहीं रोका जाता। यही कारण है कि अनेक धार्मिक विशेषज्ञ समय-समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि प्रेमी जोड़ों पर प्रतिबंध की बात प्रशासनिक नियम नहीं, बल्कि लोकमान्यता है। यहां एक और रोचक तथ्य सामने आता है। यदि वास्तव में प्रेमी जोड़ों पर धार्मिक प्रतिबंध होता, तो विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में भी उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है। रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के साथ अविवाहित युवक-युवतियां, प्रेमी युगल, परिवार और विदेशी श्रद्धालु भी भगवान के दर्शन करते हैं, रथ खींचते हैं और उत्सव का हिस्सा बनते हैं। इस दौरान किसी के संबंध या वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट होता है कि यह मान्यता केवल मंदिर में विवाह पूर्व संयुक्त दर्शन से जुड़ी एक लोकधारणा है, न कि भगवान की भक्ति से संबंधित कोई धार्मिक निषेध।

भारतीय धार्मिक परंपराओं में लोककथाओं का विशेष महत्व रहा है। अनेक कथाएं समय के साथ समाज की सांस्कृतिक पहचान बन जाती हैं। वे लोगों को नैतिक शिक्षा देती हैं, परंपराओं को जीवित रखती हैं और स्थानीय इतिहास को संरक्षित करती हैं। जगन्नाथ धाम से जुड़ी यह कथा भी उसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि किसी भी लोककथा को शास्त्रीय सत्य मान लेना उचित नहीं होता। धार्मिक विषयों में तथ्य, परंपरा और लोकविश्वास—इन तीनों के बीच अंतर समझना आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ को संपूर्ण विश्व का स्वामी माना जाता है। उनका नाम ही 'जगन्नाथ' अर्थात 'जगत के नाथ' है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी एक वर्ग, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर सभी के लिए समान हैं और उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। यही कारण है कि जगन्नाथ संस्कृति को समावेशी और सर्वस्वीकारी परंपरा के रूप में देखा जाता है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने इस लोकमान्यता को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। अनेक वीडियो और संदेशों में यह दावा किया जाता है कि मंदिर प्रशासन प्रेमी जोड़ों को प्रवेश नहीं देता या भगवान स्वयं ऐसे दर्शन स्वीकार नहीं करते। जबकि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। कई बार अधूरी जानकारी के कारण भ्रम फैल जाता है। इसलिए धार्मिक विषयों में प्रमाणिक स्रोतों और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना अधिक उचित माना जाता है।

धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य के भीतर श्रद्धा, करुणा, संयम और सद्भाव को विकसित करना है। यदि कोई व्यक्ति इस लोकमान्यता का सम्मान करते हुए विवाह के बाद ही संयुक्त दर्शन करना चाहता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आस्था है। वहीं यदि कोई इसे केवल जनश्रुति मानकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, तो भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं मानी जाती। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां विविध मान्यताओं को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। जगन्नाथ धाम का वास्तविक संदेश प्रेम, सेवा, समर्पण और समानता का है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की कामना करता है। भगवान के प्रति निष्कपट भक्ति ही इस तीर्थ का सबसे बड़ा आधार है। अविवाहित प्रेमी जोड़ों से जुड़ी मान्यता निस्संदेह रोचक है और स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी, लेकिन उपलब्ध धार्मिक प्रमाणों के आधार पर इसे अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस विषय को समझते समय आस्था और विवेक—दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे 'स्वाभिमान पर्व' विशेष महापूजा, 65वें जन्म दिवस पर किया संकल्प

▸▸ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विशेष महापूजा का प्रारंभ किया गया है

▸▸ सोमनाथ में आप भारत की अपराजित भावना का अनुभव करेंगे, जिसने हर आक्रमण के बावजूद अपनी पहचान एवं संस्कृतिक को अक्षुण्ण रखा है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को अपने 65वें जन्म दिवस के अवसर पर सोमनाथ महादेव के चरणों में शीश झुकाकर एक विशेष संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ कराए गए 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' अंतर्गत विशेष महापूजा के लिए पंजीकरण कराया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, "आज जन्म दिवस पर वर्चुअल माध्यम से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन कर महापूजा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों द्वारा श्री सोमनाथ महादेव का रुद्राभिषेक तथा विशेष पूजन संपन्न किया गया। वे क्षण बहुत आस्थामय रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा सोमनाथ में लॉन्च की गई स्वाभिमान पर्व विशेष महापूजा के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इस महापूजा के लिए सोमनाथ मंदिर में व्यक्तिगत रूप से जाकर महादेव के दर्शन की मेरी मंशा है।"

क्या है 'स्वाभिमान पर्व' ?

इस वर्ष को सोमनाथ मंदिर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। ईसवी 1026 में मंदिर पर हुए भीषण आक्रमण के 1000 वर्ष तथा 1951 में हुई मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह विशेष पर्व मनाया गया है। इस साहसपूर्ण गाथा को जीवंत रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मिलेनियल यजमान' अभियान का प्रारंभ कराया है। इस अभियान अंतर्गत सोमनाथ पर्व विशेष महापूजा का शुभारंभ किया गया है।

सोमनाथ में आप भारत की अपराजित भावना का अनुभव करेंगे, जिसने हर आक्रमण के बावजूद अपनी पहचान एवं संस्कृति अक्षुण्ण रखी है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा है, "मैं अपने सभी देशवासियों से इस शुभ अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करने तथा उसकी भव्यता देखने की विनती करता हूँ। जैसे-जैसे आप सोमनाथ के तट पर खड़े रहेंगे, वैसे-वैसे आप उसके प्राचीन प्रतिघोष का अपने भीतर अनुभव करेंगे। वहाँ आप केवल भक्ति ही नहीं, अपितु एक सभ्यता की चेतना की शक्तिशाली धड़कन का भी अनुभव करेंगे, जो कभी बंद नहीं हुई है और जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई है। वहाँ आप भारत की अपराजित भावना का अनुभव करेंगे, जिसने प्रत्येक आक्रमण के बावजूद अपनी पहचान एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। आप समझ सकेंगे कि इतने प्रयासों के बावजूद हमारी सभ्यता नष्ट क्यों नहीं हुई है। वहाँ आप शाश्वत विजय के दर्शन का अनुभव करेंगे, जो सदियों से भारत की शक्ति रही है। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।"

श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 'स्वाभिमान पर्व विशेष महापूजा' का भव्य आयोजन

श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' अंतर्गत 'विशेष महापूजा' का आयोजन किया गया है। यह पूजा श्रद्धालुओं के लिए पूरा दिन सोमनाथ महादेव के पवित्र सान्निध्य में बिताने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करती है। अखंड आस्था की इस गौरव गाथा में भक्त सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न धार्मिक विधियों में भाग ले सकते हैं।

पूजा एवं दर्शन का दिनभर का कार्यक्रम : सोमनाथ महादेव के सान्निध्य में बीतने वाले इस दिन का प्रारंभ सुबह के पवित्र वातावरण में होता है।

संकल्प एवं ध्वजा पूजा : सुबह 8 बजे पूजा के प्रधान संकल्प के साथ दिन की शुरुआत होती है। इसके बाद 8.10 से 8.30 बजे तक ध्वजा पूजा की जाती है।

परिक्रमा एवं अभिषेक : सुबह 8.35 से 8.50 बजे तक ढोल तथा शहनाई के नाद के साथ ध्वजा परिक्रमा आयोजित होती है। महादेव का दुग्ध, धान्य एवं गंगाजल से विशेष अभिषेक भी किया जाता है।

शृंगार एवं अर्पण : पुजारीजी द्वारा महादेव को धोती, उपवस्त्र, रुद्राक्ष की माला, जनेऊ तथा माता पार्वती को साड़ी एवं अखंड शृंगार अर्पित किया जाता है। इसके अलावा; भगवान को 1008 बिल्वपत्र भी चढ़ाए जाते हैं।

गौपूजन तथा महामृत्युंजय जाप : सुबह 9.50 से 10.00 बजे के दौरान श्री सोमनाथ ट्रस्ट की गौशाला में नंदी/गौपूजन तथा सेवक पूजन किया जाता है। इस पूजा में ब्राह्मणों द्वारा 1000 महामृत्युंजय मंत्र के जाप का भी आयोजन है।

राजभोग तथा ब्राह्मण भोजन : पूर्वाह्न 11.45 बजे भक्त राजभोग थाल के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद अपराह्न 12.30 बजे श्री अहल्याबाई मंदिर भोजनशाला में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है।

दीपमाला दर्शन : दिन के अंतिम चरण में संध्या आरती से पूर्व 6.15 से 8.00 बजे तक भक्तों को दीपमाला दर्शन का अद्भुत अनुभव करने को मिलता है।

यजमानों के लिए विशेष सम्मान एवं सुविधाएँ

इस महापूजा के समय यजमान की छड़ी पुकारी जाएगी और चांदी के अलग-अलग थालों में वस्त्र, नैवेद्य, पवित्र अभिषेक द्रव्य तथा ध्वजाजी को अलंकृत कर सभामंडप में विशेष पजा की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा यजमान परिवार को सागर दर्शन में 2 रूम, चाय-नाश्ता तथा भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। पूजा के लिए यजमान को धोती एवं उपवस्त्र भी दिए जाते हैं। यदि कोई यजमान प्रत्यक्ष रूप से न आ सके, तो ट्रस्ट द्वारा उनके मोबाइल पर ऑनलाइन लिंक भेजी जाएगी, जिससे वे घर बैठे पूजा में सहभागी हो सकें। वेरावळ स्टेशन पर सुबह 6 से 7 बजे के बीच आने वाली दो ट्रेनों के यजमानों को सोमनाथ पहुँचने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी की गई है।

पंजीकरण की जानकारी

इस पवित्र महापूजा में भाग लेने के इच्छुक भक्त ऑनलाइन somnath.org पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

सचिवालय में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि; सरकारी कामकाज तथा फाइलों के निपटान में आएगी और तेजी

गांधीनगर : राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को अधिक तेज तथा कार्यक्षम बनाने के लिए सचिवालय संवर्ग में सेक्शन ऑफिसर (वर्ग-2) के पदों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के प्रस्ताव के अनुसार सेक्शन ऑफिसर के मंजूर पद 606 से बढ़ाकर 634 किए गए हैं। इस निर्णय से सरकारी फाइलों के निपटान की गति बढ़ेगी, नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन तेज होगा और सामान्य नागरिकों के कार्य कम समय में हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय के अनुसार नए कैडर गठन में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) सहित राज्य के 26 विभागों तथा 19 कार्यालयों में अतिरिक्त कार्यबल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त; मुख्यमंत्री कार्यालय, गुजरात सतर्कता आयोग, गुजरात गौण सेवा चयन मंडल सहित कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों के लिए अस्थायी पदों तथा डेप्युटेशन रिजर्व का भी प्रावधान किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रशासनिक जिम्मेदारियों तथा फाइलों के बोझ को ध्यान में रखकर कैडर स्ट्रेंथ की समीक्षा की जा रही थी। इसके आधार पर पदों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिससे विभागों के बीच निर्णय प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बन सके। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सचिवालय संवर्ग के 86 डिप्टी सेक्शन अधिकारियों (वर्ग-3) को पदोन्नति देकर सेक्शन अधिकारी (वर्ग-2) के रूप में नियुक्त किया है। नए पदों तथा पदोन्नति के कारण सचिवालय में अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप फाइलों के निपटान की प्रक्रिया में गति आएगी और सरकारी सेवाएँ अधिक कार्यक्षम बनेंगी।

बढ़ती विकासोन्मुखी परियोजनाओं, नई योजनाओं और विभागीय कामकाज के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखकर लिया गया यह निर्णय राज्य के प्रशासन को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने गुजरात को मिले एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड-2026 का गौरव सम्मान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया

गांधीनगर : राज्य सरकार के कृषि विभाग को हाल ही में वर्ष 2026 का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड प्रदान किया गया है। कृषि विभाग द्वारा बागवानी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी को यह अवॉर्ड-सम्मान नई दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्री ने गुजरात को मिला यह गौरव अवॉर्ड मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री सहित समग्र मंत्रिमंडल ने राज्य के कृषि विभाग को मिली इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए अभिंदन दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में की गई नूतन पहलों के परिणामस्वरूप गुजरात ने पूर्व में 2009, 2014 और 2018 में श्रेष्ठ कृषि राज्य के रूप में अवॉर्ड्स भी प्राप्त किए हैं।

दिल्ली कैंट स्टेशन पर ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों का ठहराव रहेगा निरस्त

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली कैंट स्टेशन पर आधारभूत संरचना के उन्नयन (Major Upgradation) कार्य के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 (लाइन संख्या 3 एवं 4) पर 16 जुलाई, 2026 से 13 अक्टूबर, 2026 (90 दिनों) तक पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया।

इस ब्लॉक के दौरान अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का ठहराव (Stoppage) दिल्ली कैंट स्टेशन पर अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा: इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

▸▸ ट्रेन संख्या 12915 अहमदाबाद–दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस दिनांक 15.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 09425 साबरमती–हरिद्वार स्पेशल दिनांक 21.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 14312 भुज–बरेली आला हजरत एक्सप्रेस दिनांक 15.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 14322 भुज–बरेली एक्सप्रेस दिनांक 17.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 12216 बांद्रा टर्मिनस–दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 15.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 09523 ओखा–शकूरबस्ती स्पेशल दिनांक 15.07.2026 से 13.10.2026 तक।

▸▸ ट्रेन संख्या 09257 भावनगर–शकूरबस्ती स्पेशल दिनांक 18.07.2026 से 13.10.2026 तक।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डीआरएम वेद प्रकाश ने कटोसन रोड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की बैठक,रेल सुविधाओं के विस्तार एवं यात्री हितों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर हुई चर्चा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने कटोसन रोड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की रेल सुविधाओं से संबंधित विभिन्न मांगों एवं सुझावों पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कटोसन रोड रेलवे स्टेशन एवं उत्तर गुजरात क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख मांगें एवं सुझाव डीआरएम के समक्ष रखे—

▸▸ कटोसन रोड रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेनों में से ट्रेन संख्या 19271/19272 भावनगर–हरिद्वार एक्सप्रेस का कटोसन रोड स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान किया जाए।

▸▸ साबरमती–रणुज मेमू सेवा को चांदखेड़ा, खोडियार, कलोल, कड़ी, कटोसन रोड एवं बहुचराजी होते हुए संचालित किया जाए तथा इसे सुबह, दोपहर एवं शाम के समय चलाने की

▸▸ व्यवस्था की जाए, जिससे बहुचराजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिल सके।

▸▸ रणुज–बहुचराजी–कटोसन रोड–कड़ी–कलोल–साबरमती–सूरत–वापी के बीच नई यात्री ट्रेन प्रारंभ करने का प्रस्ताव।

▸▸ मेहसाणा–कटोसन रोड–वीरमगाम ट्रेन को आगे ओखा तक विस्तारित करने का सुझाव।

▸▸ कटोसन रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटा (पीआरएस) उपलब्ध कराया जाए, जिससे यात्रियों को आरक्षण हेतु मेहसाणा अथवा कड़ी तक यात्रा न करनी पड़े।

▸▸ कटोसन रोड के लेवल क्रॉसिंग संख्या 29 पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कराया जाए, जिससे यातायात जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

▸▸ कटोसन रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर यात्रियों के बैठने हेतु रेलिंग एवं अन्य आवश्यक यात्री सुविधाएं विकसित की जाएं।

▸▸ प्रतिनिधिमंडल ने यह भी अवगत कराया कि मीटर गेज के समय कटोसन रोड जंक्शन से 22 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता था, जबकि वर्तमान में केवल दो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। उन्होंने स्टेशन की पूर्व महत्ता को ध्यान में रखते हुए रेल सेवाओं का विस्तार करने का अनुरोध किया।

बैठक के दौरान डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सभी मांगों एवं सुझावों को गंभीरता से सुना तथा आश्वस्त किया कि जिन प्रस्तावों का संबंध मंडल स्तर से है, उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा तथा जिन मामलों में उच्च स्तर की स्वीकृति अपेक्षित है, उन्हें आवश्यक अनुशंसा सहित रेलवे के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप रेल सेवाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा प्राप्त सुझावों का व्यवहार्यता एवं रेलवे के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।

भारत-ब्रिटेन एफटीए का असर दिखना शुरू तेलंगाना से ब्रिटेन के लिए पहली निर्यात खेप रवाना

हैदराबाद। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने के बाद उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। समझौते के प्रभावी होने के साथ ही बुधवार को तेलंगाना से ब्रिटेन के लिए पहली निर्यात खेप रवाना की गई। हैदराबाद और निजामाबाद में आयोजित विशेष कार्यक्रमों के दौरान इन खेपों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसे भारत-ब्रिटेन व्यापारिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि इस समझौते से भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

समारोह के दौरान अधिकारियों ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में शून्य या रियायती आयात शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियों की लागत कम होगी और उनके उत्पाद ब्रिटिश बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। विशेष रूप से तेलंगाना जैसे औद्योगिक राज्यों के लिए यह समझौता नए अवसर लेकर आया है, जहां दवा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का मजबूत आधार मौजूद है। हैदराबाद स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) से पहली निर्यात खेप को रवाना करते हुए तेलंगाना के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव कृष्ण आदित्य ने कहा कि भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के माध्यम से भारतीय निर्यातकों को दुनिया के प्रमुख विकसित बाजारों में से एक ब्रिटेन तक अधिक आसान और प्रभावी पहुंच मिलेगी। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि राज्य में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अतिरिक्त महानिदेशक संपत कुमार ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत बड़ी संख्या में भारतीय उत्पादों को रियायती या शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा। इससे भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी और निर्यातकों के लिए नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए लाभदायक साबित होगा, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की सचिव भवानी श्री ने कहा कि इस समझौते का लाभ केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी इसका व्यापक फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के दवा उद्योग, रसायन क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ब्रिटेन का बाजार अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो जाएगा। इससे राज्य के उद्यमियों को अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का अवसर मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को नई गति मिलेगी। ब्रिटिश उच्चायोग के व्यापार एवं निवेश प्रमुख सिद्धार्थ विश्वनाथन ने इस समझौते को भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि एफटीए के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनेंगी। सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताओं में आसानी आने से व्यापार की लागत कम होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते का सबसे बड़ा लाभ उन भारतीय उत्पादों को मिलेगा, जिनकी ब्रिटेन में पहले से अच्छी मांग है। शुल्क में कमी आने से भारतीय वस्तुएं वहां अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगी, जिससे निर्यातकों की आय बढ़ने की संभावना है। साथ ही, भारतीय कंपनियों के लिए नए खरीदारों तक पहुंच बनाना भी आसान होगा।

तेलंगाना लंबे समय से देश के प्रमुख औद्योगिक और निर्यातक राज्यों में शामिल रहा है। विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में राज्य की मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारत-ब्रिटेन एफटीए को राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि यदि इस समझौते का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया गया, तो आने वाले वर्षों में तेलंगाना का निर्यात नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।

भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ यह मुक्त व्यापार समझौता केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, तकनीकी सहयोग, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पोरबंदर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प,आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी एवं दिव्यांगजन-अनुकूल व्यवस्थाओं से सुसज्जित हुआ स्टेशन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत स्थित पोरबंदर रेलवे स्टेशन को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी "अमृत भारत स्टेशन योजना" के अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित एवं यात्री-केंद्रित स्वरूप प्रदान किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 7 करोड़ से अधिक की लागत से किए गए व्यापक विकास कार्यों के पश्चात स्टेशन अब आधुनिक अधोसंरचना, उन्नत यात्री सुविधाओं एवं आकर्षक वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा एवं सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए नए अराइवल हॉल, विशाल प्रतीक्षालय (वेटिंग हॉल), आधुनिक

शौचालय ब्लॉक, पोर्च, पृथक प्रवेश एवं निकास द्वार तथा चार कवर शेड का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म का विस्तार कर यात्रियों के आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया का समग्र विकास, आकर्षक फेसाड लाइटिंग, आधुनिक साइनेज, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड तथा उन्नत पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सूचना एवं सहज यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके।

स्टेशन भवन के बाहरी स्वरूप का पूर्ण नवीनीकरण करते हुए उसे आधुनिक एवं सौंदर्यपूर्ण रूप प्रदान किया गया है। साथ ही दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों के लिए पृथक पार्किंग व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे स्टेशन परिसर में यातायात का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सुगम्य भारत अभियान की भावना के अनुरूप दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें दिव्यांग अनुकूल हेल्प बूथ, शौचालय, वाटर बूथ, रैम्प, विशेष टिकट काउंटर, उपयुक्त साइनेज तथा आरक्षित बैठने की व्यवस्था शामिल है, जिससे सभी यात्रियों को समान रूप से सुविधाजनक एवं सम्मानजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध हो सके।

महात्मा गांधीजी की जन्मभूमि तथा भगवान श्रीकृष्ण के परम मित्र सुदामा की जन्मस्थली के रूप में विश्वविख्यात पोरबंदर, देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, मुजफ्फरपुर सहित अनेक महत्वपूर्ण गंतव्यों से प्रत्यक्ष रेल संपर्क द्वारा जुड़ा हुआ है। बेहतर रेल संपर्क से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है तथा यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पोरबंदर रेलवे स्टेशन का यह पुनर्विकास भारतीय रेल की यात्री-केंद्रित, आधुनिक एवं समावेशी अधोसंरचना विकसित करने की प्रतिबद्धता को साकार करता है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह स्टेशन क्षेत्र के विकास, पर्यटन संवर्धन तथा बेहतर रेल सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अपने जन्मदिन पर अडालज त्रिमंदिर पहुंचे

मुख्यमंत्री ने दादा भगवान मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर दिन की शुरुआत की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल बुधवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर सुबह अडालज त्रिमंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने दादा भगवान मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करके दिन के कार्यों की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने त्रिमंदिर परिसर में पूज्य दादा भगवान, पूज्य नीरू मां की समाधि पर शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और देवी-देवताओं का दर्शन एवं शिव मंदिर में जलाभिषेक किया।

मुख्यमंत्री ने जन्मदिन के अवसर पर राज्य के सभी लोगों के स्वास्थ्य, खुशहाली, समृद्धि और समग्र राज्य के सतत विकास के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों का उष्मापूर्ण अभिवादन भी स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत जिला और महानगर पालिका क्षेत्र में हाल में हुई भारी वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ के हालात से प्रभावित व्यापार, वाणिज्य और सेवा इकाइयों को पूर्ववत करने के लिए उदारतम पुनर्वास सहायता पैकेज घोषित किया

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने पुनर्वास सहायता पैकेज की जानकारी दी

- लारी/ठेला, छोटे केबिन (गुमटी), बड़े केबिनधारकों को एकमुश्त नकद सहायता दी जाएगी
- ऐसे दुकानधारक जिन्होंने गत तिमाही का जीएसटी रिटर्न भरा है, उन्हें एकमुश्त 1 लाख रुपए की नकद सहायता दी जाएगी
- दिनांक 30/09/2026 तक आवेदन करना होगा
- ऐसे प्रभावित जिन्होंने गत तिमाही का जीएसटी रिटर्न भरा है, उन्हें ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए पैकेज का संकल्प (रिजॉल्यूशन) पारित होने की तिथि के छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा
- सूरत शहर के प्रभावित आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए एक वर्ष के लिए टैक्स माफ करने का निर्णय
- अब तक, प्रभावित क्षेत्रों में 19,256 परिवारों को घरेलू सामान सहायता और 39,237 व्यक्तियों को कैश डोल के अंतर्गत कुल 13.15 करोड़ रुपए की नकद सहायता दी गई

गांधीनगर : सूरत जिला और महानगर पालिका क्षेत्र में जुलाई 2026 के दौरान हुई भारी से अति भारी बरसात के चलते आई बाढ़ के कारण सूरत शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण स्थानीय वाणिज्य, व्यापार और सेवा इकाइयों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस विकट स्थिति से प्रभावित इलाकों के व्यापार-व्यवसाय को उबारकर उन्हें तेजी से पुनः कार्यान्वित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से प्रभावित वाणिज्य, व्यापार और सेवा इकाइयों के लिए उदारतम पुनर्वास सहायता पैकेज घोषित किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित इस सहायता पैकेज की विस्तार से जानकारी दी।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस पुनर्वास सहायता पैकेज के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों के व्यापार-व्यवसाय को पूर्ववत करने के लिए लारी/ठेला, छोटे केबिन (गुमटी) और बड़े केबिन वाले दुकानधारकों को एकमुश्त नकद सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसे दुकानधारकों को 1 लाख रुपए की एकमुश्त नकद सहायता देने का संवेदनशील निर्णय किया है, जिन्होंने गत तिमाही का जीएसटी रिटर्न भरा है।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछली तिमाही का जीएसटी रिटर्न भरा है, ऐसे व्यापारी/बड़ी दुकान और पक्के निर्माण वाली दुकानों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभावित इकाइयों को लोन देने की कार्रवाही शुरू की जाएगी।

एकमुश्त नकद सहायता या ब्याज सहायता में से केवल कोई एक विकल्प ही देय होगा।

एकमुश्त नकद सहायता के पात्र प्रभावितों को नुकसान सहायता के लिए सर्वे करने के बाद और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसे प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए सहायता का भुगतान किया जाएगा।

ऐसे एकमुश्त नकद सहायता के लिए पात्र प्रभावितों को दिनांक 30/09/2026 तक संबंधित सूरत महानगर पालिका आयुक्त आवेदन/तहसीलदार/नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को निर्धारित नमूने में आवेदन करना होगा।

ऐसी एकमुश्त नकद सहायता को मंजूर करने के लिए सूरत महानगर पालिका के संबंधित जोन के उपायुक्त या ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति का गठन सूरत के जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

ऐसे प्रभावित, जिन्होंने पिछली तिमाही का जीएसटी रिटर्न भरा है, उन्हें ब्याज सहायता प्राप्त करने के लिए पैकेज का संकल्प (रिजॉल्यूशन) पारित होने की तिथि के छह महीने के भीतर जिला उद्योग केंद्र को निर्धारित नमूने में बैंक से लोन मिलने के प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, जिन प्रभावित इकाइयों ने एपीएमसी की सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त की होगी, वे इकाइयां इस पैकेज के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगी। ऐसी सहायता मंजूर करने को लेकर खड़े होने वाले किसी भी ऐतराज, विवाद या पुनः सर्वे को लेकर संबंधित प्रभावित इकाई सूरत जिला कलेक्टर को अपील कर सकती है। कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यरत इस अपील समिति में अन्य सदस्यों के रूप में जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) सूरत के महाप्रबंधक होंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए एक और महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सूरत शहर के प्रभावित आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को एक वर्ष के लिए टैक्स छूट देने का निर्णय किया है। उन्होंने सूरत शहर में चल रहे स्वच्छता-सफाई के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ की परिस्थिति के बाद सूरत शहर में गंदगी या अन्य अन्य महामारी से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सूरत महानगर पालिका के अलावा अन्य महानगरों से 9 हजार से अधिक स्वच्छतादूतों को सूरत में सफाई कार्य में शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए सूरत नगरवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

उप मुख्यमंत्री ने सूरत के प्रभावित क्षेत्रों में कैश डोल एवं घरेलू सामान सहायता के भुगतान की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सूरत में 14 जुलाई 2026 तक कुल 19,256 परिवारों को 9.62 करोड़ रुपए की घरेलू सामान की सहायता और 39,237 व्यक्तियों को 3.53 करोड़ रुपए के कैश डोल सहित नकद सहायता के रूप में कुल 13.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

उन्होंने कहा कि सूरत शहर के खाड़ी क्षेत्र में भविष्य में ऐसी परिस्थिति फिर से उत्पन्न न हो, इसके लिए एक मजबूत और कंक्रीट एक्शन प्लान तैया करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस समिति के उच्च अधिकारियों की टीम भी सूरत भेजी थी। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में गठित इस समिति में सूरत महानगर पालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह समिति सूरत के खाड़ी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के दीर्घकालिक निवारण का एक एक्शन प्लान आगामी दिनों में जल्द से जल्द तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा केंद्रीय मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने सूरत के भारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की खुद जानकारी हासिल करने तथा नुकसान का आकलन करने के लिए उन क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा किया था।

उन्होंने प्रभावित व्यापारियों/वाणिज्यिक इकाइयों से इस बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके प्रति सहानुभूति एवं संवेदना दर्शाकर प्रभावितों को तेजी से उबारने और पूर्ववत करने के दृष्टिकोण के साथ यह उदारतम पुनर्वास पैकेज घोषित किया है।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पांडे का भावनगर मंडल में प्रथम आगमन

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पांडे का आज भावनगर मंडल में प्रथम आगमन हुआ। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

अपने दौरे के दौरान श्रीमती सुजाता पांडे ने सर्वप्रथम किड्स हट स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक, सह-पाठ्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों का अवलोकन करते हुए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित परिसर तथा अनुशासित वातावरण की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार का उत्साहवर्धन किया।

इसके उपरांत श्रीमती सुजाता पांडे ने नवनिर्मित बाल उद्यान का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा बाल मंदिर स्कूल के पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण कर उसे विद्यार्थियों को समर्पित किया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं। श्रीमती सुजाता पांडे ने विद्यार्थियों की प्रतिभा, अनुशासन एवं आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए उन्हें उपहार प्रदान किए तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अपने संबोधन में श्रीमती सुजाता पांडे ने भावनगर मंडल द्वारा किए गए उत्कृष्ट आयोजन एवं व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के शिक्षकों का समर्पण तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार एवं रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ समाज के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा ने स्वागत उद्बोधन में श्रीमती सुजाता पांडे का हार्दिक स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित गतिविधियों को नई दिशा, नई ऊर्जा तथा और अधिक गति प्राप्त होगी।

सम्पूर्ण कार्यक्रम गरिमामय, उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल की उपाध्यक्षा, सचिव एवं समिति की सदस्याओं के साथ किड्स हट स्कूल एवं बाल मंदिर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारी, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित गोधरा स्टेशन पर रचनात्मक प्रतियोगिताओं में 1400 से अधिक विद्यार्थिओं में लिया उत्साहपूर्वक भाग

अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के अंतर्गत पुनर्विकसित गोधरा रेलवे स्टेशन के 17 जुलाई, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों में रचनात्मकता, जन-जागरूकता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से 14 जुलाई, 2026 को चित्रकला एवं निबंध लेखन तथा 15 एवं 16 जुलाई को 'सेल्फी विद स्टेशन' प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय था – "मेरे शहर का विकसित स्टेशन कैसा होगा?" जबकि चित्रकला प्रतियोगिता का विषय था – "विकसित भारत के निर्माण में मैं क्या योगदान दूँगा/दूँगी?" यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में कल्याण निरीक्षकों की टीम द्वारा आयोजित किया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गोधरा क्षेत्र के 02 विध्यालय नालंदा स्कूल (गुजराती माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम) तथा एसएसजी इंटरनेशनल टेक्नो स्कूल, गोधरा के कुल 1,402 छात्र-छात्राओं ने चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता में सहभागिता की। प्रतियोगिता का आयोजन दो वर्गों—कक्षा 6वीं से 8वीं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं—में किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा, कल्पनाशीलता एवं अभिव्यक्ति कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चित्रों, पोस्टरों एवं निबंधों के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना, सामाजिक सरोकारों तथा भारतीय रेल के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रति अपनी सकारात्मक सोच को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

एक अन्य प्रतियोगिता के अंतर्गत "गोधरा जंक्शन – सेल्फी का टशन" प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से नागरिकों को स्टेशन के आधुनिक स्वरूप एवं नई पहचान के साथ जुड़ने का अवसर मिला। प्रतिभागियों ने गोधरा जंक्शन के साथ आकर्षक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर निर्धारित हैशटैग के साथ साझा किया। चयनित प्रतिभागियों की तस्वीरें डीआरएम वडोदरा के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की जाएंगी।

प्रतियोगिता के श्रेष्ठ तीन विजेताओं एवं चयनित प्रतिभागियों को 17 जुलाई 2026 को गोधरा जंक्शन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच से प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों से ही सेल्फी लें।

इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय रेल के विकास एवं आधुनिकीकरण के प्रति जागरूकता विकसित करना था।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। मंडल प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों को उनकी उत्कृष्ट सहभागिता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक, शैक्षणिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, एआई और हाइपर-स्केल डेटा सेंटर्स जैसे हाई-टेक 'सनराइज सेक्टर्स' के वैश्विक हब के रूप में गुजरात स्थापित : मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया के करकमलों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 'रोबोफेस्ट गुजरात 6.0' का लॉन्चिग**
- **आगामी वर्ष विजेताओं और प्रोटोटाइप बनाने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुल पांच करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि**

विभिन्न एमओयू

- गुजकोस्ट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच राज्यव्यापी ड्रोन लेबोरेटरी नेटवर्क की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन
- गुजकोस्ट और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआरडीसी) के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बौद्धिक संपदा संरक्षण, स्टार्टअप्स और एमएसएमईस के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग आदि को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन

गांधीनगर : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने 'रोबोफेस्ट गुजरात 6.0' के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कहा कि गुजरात आज पारंपरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य से सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपर-स्केल डेटा सेंटर्स जैसे हाई-टेक 'सनराइज सेक्टर्स' के वैश्विक हब के रूप में उभरा है। गुजरात में वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आज स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आगामी क्वांटम मिशन सहित 11 प्रमुख वर्टिकल्स पर कार्य कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि अतीत में जहां प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान मेले सामान्य मॉडलों तक सीमित थे, वहीं आज गुजकोस्ट द्वारा आयोजित 'रोबोफेस्ट' जैसे मंचों के माध्यम से हजारों युवा विद्यार्थी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आईटी के समन्वय से अत्यंत जटिल वास्तविक रोबोट्स का निर्माण कर शिक्षा क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव को प्रदर्शित कर रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया के करकमलों से बुधवार को गांधीनगर में 'रोबोफेस्ट गुजरात 6.0' का लॉन्चिग किया गया गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (गुजकोस्ट) द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली रोबोटिक्स प्रतियोगिता ।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित न रहकर मानव जीवन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य बन चुकी है। चिकित्सा क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि के उदाहरण के रूप में एशिया की प्रसिद्ध किडनी इंस्टीट्यूट (आईकेडीआरसी) में हाल ही में रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सात जटिल लिवर ट्रांसप्लांट 100 प्रतिशत सफलता दर के साथ पीड़ारहित तरीके से पूरे किए गए हैं। दूसरी ओर बदलते वैश्विक रुझानों के बीच भविष्य के युद्ध सैनिकों द्वारा सीधे सीमा पर लड़ने के बजाय उन्नत रोबोट्स, ड्रोन और बंकर में बैठकर संचालित की जाने वाली आधुनिक हथियार प्रणालियों के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। इस प्रकार; देश की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नहींवत उपस्थिति रखने वाला भारत आज गुजरात के सक्रिय योगदान से वैश्विक पटल पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। देश की 12 बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं केवल गुजरात में ही प्रगति पर हैं। इसी प्रकार; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण हाइपर-स्केल डेटा सेंटर्स के क्षेत्र में भी भारत आगामी 5 वर्षों में अभूतपूर्व निवेश के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोड़ा कि यह वैज्ञानिक उत्क्रांति और युवाओं के नूतन विचार यदि स्टार्टअप्स और व्यावसायिक उद्यमों में रूपांतरित होंगे, तभी प्रधानमंत्री का 'विकसित भारत@2047' का राष्ट्रीय सपना साकार होगा।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के मुख्य शैक्षणिक अधिकारी डॉ. कल्पेश वाडरा ने कहा कि जूनियर और सीनियर कैटेगरी के विजेताओं की रचनात्मकता को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि गुजरात में इनोवेटिव उद्यमियों की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आरआरयू) और गुजकोस्ट के बीच राज्यव्यापी 'ड्रोन लेबोरेटरी नेटवर्क' की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो राज्य में शिक्षा, सुरक्षा, कौशल विकास और इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने आगे कहा कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित तकनीकी क्रांति के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें ड्रोन सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। भारत सरकार ने प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से देश में एक मजबूत ड्रोन इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विकसित होता बाजार है। इस संदर्भ में, गुजकोस्ट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच यह साझेदारी पूरे गुजरात में 'हब एंड स्पोक' मॉडल के तहत ड्रोन ट्रेनिंग इकोसिस्टम और लेबोरेटरीज का नेटवर्क स्थापित करेगी। उन्होंने जोड़ा कि यह पहल केवल पायलट्स को प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक कुशल कार्यबल, शोधकर्ताओं और टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार कर गुजरात को भारत के टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन में अग्रसर बनाए रखेगी।

नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआरडीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बिजयकुमार साहू ने कहा कि आज एनआरडीसी और गुजकोस्ट के बीच किया गया समझौता ज्ञापन केवल एक जुड़ाव नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए इनोवेशन का सह-निर्माण करने और उसे सेलिब्रेट करने का अवसर है। एनआरडीसी का लक्ष्य 'माइंड टू मार्केट' और 'लैब टू लैंड' कनेक्टिविटी स्थापित करना है।

उन्होंने आगे कहा कि देश की आयातित टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने और प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए देश में ही टेक्नोलॉजी का सृजन करना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी संस्था अकेले इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। जब हम एक-दूसरे की शक्तियों को पूरक बनाकर मिलकर काम करेंगे, तभी बड़ा बदलाव लाया जा सकेगा। वर्तमान समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। उन्होंने जोड़ा कि हमें ज्ञान को केवल स्वीकार ही नहीं करना है, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करके उसका आर्थिक मूल्य भी सृजित करना है।

गुजकोस्ट के महानिदेशक श्री दिग्विजयसिंह डी. जाडेजा ने कहा कि 'रोबोफेस्ट गुजरात' गुजरात सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस पहल के माध्यम से राज्य में अनुसंधान आधारित नवीनता, टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन, कुशल मानवबल के विकास तथा टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। आज किए जाने वाले विभिन्न एमओयू के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा, इंजीनियरिंग कौशल, अनुसंधान, डिजाइन तथा उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे, ऐसा बताते हुए श्री जाडेजा ने सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं दीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की उपस्थिति में गुजकोस्ट और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआरडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अनुसंधान के व्यावसायिक उपयोग, बौद्धिक संपदा संरक्षण, लाइसेंसिंग सहायता तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स और एमएसएमईस के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुजकोस्ट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आरआरयू), गांधीनगर के बीच राज्यव्यापी ड्रोन लेबोरेटरी नेटवर्क की स्थापना के लिए भी समझौता ज्ञापन किया गया।

इस वर्ष आयोजित होने वाली प्रतियोगिता की मुख्य थीम 'एआई-पावर्ड रोबोटिक्स इनोवेशन चैलेंज ' रखी गई है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स के कौशल को प्रोत्साहित कर वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं को तैयार करना है।

इस प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों में विजेता बनने वाले और प्रोटोटाइप बनाने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की बड़ी पुरस्कार राशि रखी गई है। यह प्रतियोगिता दो स्तरों पर आयोजित होगी, जिसमें जूनियर लेवल में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी, आईटीआई और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थी तथा सीनियर लेवल में एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) क्षेत्र में अध्ययनरत प्रथम से तृतीय वर्ष के अंडरग्रेजुएट विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के दोनों स्तरों पर विद्यार्थियों को तीन क्रमिक चरणों से गुजरना होगा। आगामी वर्ष 2027 के संभावित फरवरी माह में इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा और प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'रोबोफेस्ट गुजरात 5.0' के विजेता विद्यार्थियों द्वारा विकसित पुरस्कार विजेता रोबोट्स का लाइव प्रदर्शन रहा। मंत्री सहित उपस्थित महानुभावों तथा विद्यार्थियों ने विभिन्न रोबोटिक सॉल्यूशंस का निरीक्षण कर वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में रोबोटिक्स के उपयोग का अनुभव किया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली टीमों की रचनात्मकता, तकनीकी दक्षता और नवीन सोच की महानुभावों ने सराहना की।

गुजकोस्ट की साइंटिफिक ऑफिसर सुश्री पायल पंडित ने आभारविधि की। इस अवसर पर आईएसीई के कार्यकारी निदेशक श्री ई. राजीव सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी और प्रतियोगी उपस्थित रहे।

अशांति, अवैध निर्माण और जनहित के मुद्दों पर एक निष्पक्ष दृष्टिकोण

(सूरत के निडर, निष्पक्ष, तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. सूरत शहर और पूरे गुजरात में अशांतधारा का राजहंस समूह खूब मुनाफा कमा रहा है। अशांतधारा क्षेत्र में जहां आम जनता को छोटे-मोटे निर्माण की भी अनुमति नहीं मिलती, वहीं नेताओं के आशीर्वाद और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अशांतधारा क्षेत्र में निर्माण की अनुमति आसानी से मिल जाती है। अशांतधारा के अंतर्गत आने वाले रांदेड़ जिले के गोरत क्षेत्र में 11 ऊंची इमारतें बन चुकी हैं और निर्माणाधीन हैं। एक व्यक्ति अपने घर के लिए अशांतधारा की अनुमति पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन राजहंस समूह का इतना दबदबा है कि वह देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से सीधे फोन पर संपर्क कर सकता है। केवल सूरत शहर या गुजरात राज्य में ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में भी इस राजहंस समूह की परियोजनाएं चल रही हैं। राजहंस समूह, जिसका राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक है, ने ऊंची-ऊंची इमारतें बनवाई हैं और वर्तमान में भी उनका निर्माण कार्य जारी है। सूरत नगर निगम के कलेक्टर और अधिकारियों ने अशांतधारा परियोजना की योजना को मंजूरी दे दी है। रंदर गोरत के अशांतधारा क्षेत्र में बनी इन इमारतों के आसपास की सोसाइटियों के निवासियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन राजहंस समूह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह है। अपनी सुरक्षा के लिए, यानी अशांतधारा क्षेत्र में निर्माण के नियमों से बचने और किसी भी आलोचना से बचने के लिए, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपना सहयोगी बना लिया है। अशांतधारा में मकान बेचे नहीं जा सकते और अशांतधारा के कारण, 10x10 फीट का मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए भी आवेदक को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी अशांतधारा की अनुमति नहीं मिलती, तो कलेक्टर की अनुमति धनवान लोगों को कैसे मिल जाती है? आम नागरिकों और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच रखने वाले राजहंस जैसे धनवान लोगों को सिफारिश पर अनुमति मिल जाती है। नगर निगम के अधिकारी एक फोन कॉल पर ही अनुमति दे देते हैं।

अगर कोई भी छोटा या बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पत्रकार, मीडिया हाउस पत्रकार या समाचार वाचक सच को सामने नहीं ला पाता, तो बहुत डर का माहौल रहता है। अगर कोई पत्रकार या सामाजिक नेता किसी संगठन द्वारा प्रकाशित सच्ची खबर को उजागर करता है, तो उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ मीडियाकर्मी या पत्रकार जो गलत कामों को उजागर करने की हिम्मत करते हैं, उनके खिलाफ जबरन वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज कर जेल भेज दिए जाते हैं। परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो जाते हैं और छात्रों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जिसके कारण छात्र असफल हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे अंतिम कदम उठा लेते हैं। ऐसे प्रश्नपत्र लीक कांड में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन छात्रों का घर में उज्ज्वल भविष्य होता है और परिवार के लिए उम्मीदें होती हैं, वे प्रश्नपत्र लीक होने से निराश होकर अंतिम कदम उठा लेते हैं।

सूरत शहर में अवैध निर्माणों के कारण खाड़ियों में बाढ़ आ गई और 45 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई। शहर से होकर गुजरने वाली खाड़ियों के दोनों किनारों पर अवैध निर्माणों के कारण जल प्रवाह बाधित हो गया है, जिसके चलते अब तक 45 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है। सरकार ने ऐसे निर्दोष लोगों के परिजनों को कोई सहायता राशि देने की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण 45 से अधिक लोगों की जान चली गई है। यह भी शर्मनाक है कि भारी नुकसान झेलने वाले निवासियों को केवल 6800 रुपये की सहायता राशि दी गई है। ऐसे लोगों को एक लाख रुपये या 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जानी चाहिए। यदि आप इसे कानून में शामिल करेंगे, तो आपको लाभ होगा, यह जनता की मांग है। जनता ने आपको वोट दिया है, इसलिए आप सत्ता में हैं। बाकी तो सिर्फ आम लोग हैं।

गुजरात के 60 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की उम्मीद है, सरकार महत्वपूर्ण तैयारियां कर रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात के विभिन्न विभागों में लगभग 60 हजार कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया 2005 से पहले हुई थी। लेकिन प्रशासनिक कारणों या कानूनी विवादों के कारण, नियुक्तियां 2005 के बाद हुईं। ये सभी कर्मचारी वर्षों से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पेंशन एवं भविष्य निधि निदेशालय ने वित्त विभाग के वर्ष 2024 के संकल्प के अनुसार, ओपीएस में शामिल होने के पात्र कर्मचारियों का विवरण सभी विभागों से मांगा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2005 के बाद भर्ती किए गए कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार, जिन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया या विज्ञापन 1 अप्रैल, 2005 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन प्रशासनिक या कानूनी कारणों से जिनकी नियुक्ति बाद में हुई, वे ओपीएस का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए गए उम्मीदवार, अदालती मामलों या प्रशासनिक देरी के कारण देर से नियुक्त किए गए कर्मचारी और कुछ ऐसे कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो निश्चित वेतन पर सेवा देने के बाद नियमित हो गए हैं। हालांकि, 1 अप्रैल, 2005 के बाद नई भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से उन कई कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलने की संभावना है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे। पत्र के अनुसार, केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प दिया गया है।